

अध्याय-6 निष्कर्ष

भारतीय नौसेना न केवल राष्ट्र के प्रभुत्व और अखंडता को बचाए रखने में, अपितु राष्ट्र के आर्थिक हितों को सुरक्षित करने में भी प्रमुख भूमिका निभाती है। बदले आर्थिक परिवेश में राष्ट्र की भूमिका एवं शक्तियों के संतुलन में परिवर्तन का विचार करते हुए यह अत्याधिक अनिवार्य है कि नौसेना को भावी चुनौतियों का सामना करने के लिए सज्जित होना चाहिए। यद्यपि नए पोतों के अधिष्ठापन के लिए कदम उठाए गए हैं, फिर भी परिचालनात्मक भूमिकाएं निभाने हेतु सीमित नौसेनिक संसाधनों का और अधिक दक्षतापूर्वक विन्यास करने की आवश्यकता है।

दक्षतापूर्वक संचालित रीफिट्स एक ऐसा साधन है, जिससे नौसेना यह सुनिश्चित कर सकती है कि लंबे रीफिट्स कराने की बजाय उसे परिचालनात्मक रूप से तैयार पोत लंबे समय तक के लिए उपलब्ध हैं।

वर्तमान में, भारतीय नौसेना में रीफिट प्रबंधन इस प्रकार है कि अधिकांश रीफिट्स अत्याधिक विलंबों के साथ प्रारंभ और पूरे किए जाते हैं, अर्थात् जांच परीक्षित 152 रीफिट्स में से केवल 18 प्रतिशत रीफिट्स भारतीय नौसेना के मानदंडों के अनुसार प्रारंभ किए गए, जबकि 74 प्रतिशत रीफिट्स 8629 दिन के कुल विलंब के साथ पूरे किए गए। एक पोत, जो रीफिट के लिए कालातीत है, भारत की सुरक्षा आवश्यकताओं के लिए इष्टतम समाधान का हिस्सा नहीं बन सकता है। इस प्रकार, लंबी मरम्मत के अधीन जो पोत है, वे परिचालनात्मक कार्य के लिए उपलब्ध नहीं होते, जिसके लिए उसका चालूकरण किया गया था।

यद्यपि लेखापरीक्षा ने इससे पूर्व भी वर्ष 1999 की प्रतिवेदन प्रतिवेदन सं. 8 में ये मुद्दे उठाए थे, हमने देखा कि एक दशक के बाद भी वही चिंताएं निरंतर बनी हुई हैं जैसाकि इस निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाया गया है।

एम एल यू एक विशेष प्रकार के रीफिटिंग कार्य हैं तथा उनमें पोतों की कार्य योग्यता बढ़ाने की क्षमता है। तथापि, अधिकांश एम एल यू समय पर प्रारंभ नहीं किये जा सके और उनके समापन में भी उल्लेखनीय विलंब हुआ था। हमने एम एल यू के लिए चयनित 18 पोतों में से 15 में 5 से 67 महीने का विलंब देखा, जबकि 10 एम एल यू 33 महीने तक के विलंब के साथ पूरे किए गए। हमने यह भी देखा कि संस्वीकृति हेतु प्रस्तुत करते समय परिकल्पित एम एल यू का संपूर्ण पैकेज प्राप्त नहीं किया जा सका, क्योंकि अनेक उपस्कर और प्रणालियां एम एल यू पैकेज से या तो हटायी गयी थी या फिर असंबद्ध की गयी थी। इस प्रकार, एम एल यू पैकेज के लिए संस्वीकृति की मांग करते समय सक्षम वित्तीय प्राधिकारी को प्रस्तुत की गई परियोजना के अनुसार कार्यक्षमता में संवर्धन प्राप्त नहीं किया जा सका।

इष्टतम रीफिट प्रबंधन से कम होने के मुख्य कारण अब भी मरम्मत प्रांगणों में अवसंरचना की कमियां तथा रीफिट पूरा करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त पुर्जों की


सामयिक उपलब्धता है। रीफिट आवश्यकताओं का समर्थन करते हेतु अपर्याप्त शुष्क गोदी सुविधाएं रीफिट्स के प्रारंभ और समापन को अब भी विलंबित कर रहीं हैं। इन सुविधाओं को बढ़ाने के लिए संस्वीकृत की गई परियोजनाओं में अत्यधिक विलंब हुए हैं।

अपेक्षित अतिरिक्त पुर्जों की उपलब्धता अब भी एक ऐसा, नाजुक क्षेत्र है, जिसको रीफिट प्रबंधन के मौलिक सुधार के लिए संबोधित करने की आवश्यकता है। आवश्यक अतिरिक्त पुर्जों के संपूर्ण पूरक का अभाव, केनिबलाइसेशन का आश्रय लेना और विद्यमान अतिरिक्त पुर्जों की पुनः पूर्ति करना, जब उनके प्रतिस्थापन उपलब्ध नहीं हैं, आदि चिंता के विषय हैं। इस निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ने विशेष बल दिया है कि अतिरिक्त पुर्जों की अधिप्राप्ति प्रक्रिया रीफिट के लिए अतिरिक्त पुर्जों की सामयिक आवश्यकता पूरी करने के अनुरूप नहीं है।

मरम्मत बाड़ों में जिस लागत लेखांकन प्रणाली का अनुसरण किया जाता है, वह रीफिट के लिए आवश्यक संपूर्ण व्यय एवं लागतों का अंकन नहीं करती। प्रचलित प्रणाली लागत निर्धारण, लागत नियंत्रण अथवा लागत अदक्षताओं का निर्धारण करने में सहायक नहीं बनी। इसके अलावा, मरम्मत बाड़ों की क्षमता का मूल्यांकन करने की प्रणाली का, जो मेट्रिक्स यूनितों में प्रकट की जाती है, विभिन्न यादों में अपर्याप्त रूप से डिजाइन एवं कार्यान्वयन किया गया था। इसने विभिन्न समय और बाड़ों में बाड़ों की क्षमता तथा उनके निष्पादन के मूल्यांकन कार्य को कठिन बनाया।


यद्यपि यह स्वीकार किया जाता है कि एन डी की सहायता से प्रौद्योगिकी, उद्भव और सेवाकाल रूपरेखा के विषय में अधिक भिन्न बेड़े का रीफिट प्रबंधन अत्यधिक चुनौतीपूर्ण कार्य प्रस्तुत करता है, तथापि एक बेहतर रूप से संचालित रीफिट/एम एल यू प्रणाली के लिए इन प्रतिबंधों को पार करने की आवश्यकता है।

मुम्बई
दिनांक: 30 दिसम्बर 2013


(सी. एम. साने)
प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (नौसेना)

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 30 दिसम्बर 2013


(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक